सेवामें,

07/02/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 07/03/18 को पेश हो।

07/03/18 प्रार्थी वकील उपस्थित। विपक्षीगणों के नोटिस तामील अदम तामील अप्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 14/05/18 को पेश हो।

14/05/18 पत्रावली आज न्याय आपके द्वार अभियान 2018 कैम्प कोर्ट ग्राम पंचायत जाखड़ा में रखी गई। प्रार्थी वकील उपस्थित। प्रार्थी वकील की एक-पक्षीय बहस सुनी गई, प्रार्थी के अधिवक्ता ने बताया की प्रार्थी को अपने खातेदारी खेतों के चारों ओर पक्के नेचम स्थापित करवाना आवश्यक है इसलिए प्रार्थी ~~के~~ का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर नेचमबन्दी आदेश किया जावे।

अतः प्रार्थी का नेचमबन्दी आवेदन स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिड़ा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है व आदेश दिया जाता है कि आप स्वयं या अपने अधिनस्थ किसी भी भू-अभिलेख निरीक्षक से प्रार्थी के खातेदारी खेतों के चारों ओर ~~पक्की नेचम पक्~~ पक्के नेचम स्थापित कर मौके पर कमिश्नर शुल्क जमा कराकर करें दोनों पक्षों को तहसीलदार गिड़ा की जरिये नोटिस सूचित किया जावे। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली हो पत्रावली फैसल शुमार हो, दर्ज नम्बर से कम हो दाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी, बायतु
राजस्व लोक अदालत, न्याय आपके द्वार, 2018
(केम्प कोर्ट, जाखड़ा)

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 202 दिनांकः– 14/05/2018

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थीगण
1. श्रीमती गीता पत्नी गोमाराम वगैरा 4 जातियान् भाट निवासीयान् गोदारों की बस्ती, जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर		1. श्री धन्नाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 04 जातियान् जाट निवासीयान् गोदारों की बस्ती, जाखड़ा तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 ,111राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व आवेदन संख्या 255/17

आदेश

मौजा गोदारों की बस्ती पटवार हल्का जाखड़ा के खेत खसरा नम्बर 5 रकबा 43.19 बीघा की भूमि में चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु तहसीलदार गिड़ा को कमीशनर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि वे स्वयं या अपने अधिनस्थ भू.अ.निरीक्षक से प्रार्थीगण के खातेदारी खेत के चारो तरफ सेढा पडौसीयो को नोटिस देने के बाद, प्रार्थीगण से प्रार्थीगण के खातेदारी खेतों का सीमाज्ञान करवाकर व सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रार्थीगण के खातेदारी खेतो की पक्की नेखमबंदी मौके पर शुल्क जमा कराकर करें तथा अपेक्षित होने पर थाना प्रभारी गिड़ा से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता हैं।

(हेताराम चौहान)
उपखण्ड अधिकारी बायतु

कमांक/ न्याय आपके द्वार/कोर्ट/2018/ 203-07 दिनांकः– 14 /05/2018

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है।

1. तहसीलदार गिड़ा।
2. पटवारी हल्का जाखड़ा को भेजकर लेख है कि निर्धारित तारीख को मय रेकर्ड उपस्थित रहकर नेखमबंदी की कार्यवाही पूर्ण करावे।
3. प्रार्थी श्रीमती गीता पत्नी गोमाराम वगैरा 4।
4. विप्रार्थी श्री धन्नाराम पुत्र नारणाराम वगैरा 04।
5. थानाधिकारी पुलिस थाना, गिड़ा।

उपखण्ड अधिकारी बायतु